



समाहरणालय, अरवल ।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
06.09.2016	<p>न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, अरवल शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं० - 68/डी०एम०/2016 <u>आदेश</u></p> <p>श्री मिथिलेश कुमार, पिता-स्व० भगवान सिंह, सा०-खानकुलीपुर, थाना+जिला-अरवल द्वारा एक एन०पी०बोर राईफल की अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2016 में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 06.09.2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।</p> <p>निर्धारित तिथि को आवेदक उपस्थित हुआ तथा उनका पक्ष सुना गया। साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के वक्त आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वे खेती करते हैं तथा उनकी कुल आय दो लाख रुपये मात्र है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछने पर कि वे शस्त्र की अनुज्ञप्ति क्यों लेना चाहते हैं ? आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका घर गाँव से बाहर है। जिस कारण उन्हें असुरक्षा की भावना बनी रहती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आपके साथ कभी किसी प्रकार की अपराधिक घटना घटी है अथवा धमकी दिया गया है तथा उन्हें किस प्रकार की खतरा है। इनके द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। मात्र यह बताया गया कि शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत कर दी जाय। लेकिन भय/सुरक्षा के संबंध में न तो कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया एवं ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक को वास्तव में शस्त्र की आवश्यकता है।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, अरवल के ज्ञापांक 116/गो० (शस्त्र), दिनांक 21.08.2016 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल के जाँच प्रतिवेदन के अलावा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है। थाना अध्यक्ष, अरवल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का पेशा कृषि एवं व्यवसाय है। तदुपरान्त आवेदक के जन नाल के सुरुआत शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को किसी विशेष सुरक्षा</p>	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिवसीय तारीख के साथ
	<p>/भय होने के संबंध में "नहीं" प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित करने के बावजूद भी आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अग्रसारित की गई है। लेकिन इसके लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2) ए में अंकित है कि "आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवायेगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर सनर्पित करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, उप धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबंधों अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सुक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निस्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को वर्तमान समय में उन्हें शस्त्र की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा ऐसे में आवेदक को एक एन0पी0बोर राईफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।</p> <p>शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित प्रावधानों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारों परान्त श्री मिथिलेश कुमार, पिता-स्व० भगवान सिंह, सा०-खानकुलीपुर, थाना-जिला-अरवल के आवेदित एक एन0पी0बोर राईफल को अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><i>वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</i></p> <p>लेखापित एवं संशोधित  जिला दंडाधिकारी, अरवल</p> <p style="text-align: right;">  जिला दण्डाधिकारी, अरवल</p>	